लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश (मिशन वन.क्लिक)
गौतम नगर, भोपाल 462 023
दूरभाष– 0755–2600115
वेबसाइट www.shiksha.samagra.gov.in ई–मेल **sscholarship.dpi@gmail.com**

क्रमाक / समग्र / वन–क्लिक / 45 / 2016 / 564 भोपाल, दिनाक 22/12/16

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
जिला म.प्र.

विषयः–समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत पोर्टल पर विद्यार्थियों के बैंक खातों के सत्यापन / संशोधन विषयक।

संदर्भः–संचालनालय का पत्र क / समग्र / वन–क्लिक / 45 / 2016 / 502 दिनांक 27.10.16

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा जिन विद्यार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन शेष था उन सभी विद्यार्थियों का विवरण समग्र शिक्षा पोर्टल पर SSDDO के लॉगइन में उपलब्ध कराया जाकर निर्देशित किया गया था कि संकुल प्राचार्यो / स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समस्त असत्यापित बैंक खातों की जांच एवं आवश्यकतानुसार संशोधन कर पुनः बैंक खाते सत्यापित किए जाए।

अद्यतन भी शतप्रतिशत विद्यार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन नही किया गया है। अतः समस्त विद्यार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन दिनांक 24.12.16 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शतप्रतिशत विद्यार्थियों के बैंक खाते सत्यापित किए जाने के आशय का निम्नानुसार प्रमाण पत्र संचालनालय के ई–मेल **sscholarship.dpi@gmail.com** पते पर दिनांक 26.12.16 प्रेषित किया जाए।

बैंक खाता सत्यापन प्रमाण पत्र

''समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत जिले के समस्त विद्यार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन समग्र शिक्षा पोर्टल पर किया जा चुका है। किसी भी छात्र का बैंक खाता संशोधन / सत्यापन किए जाने हेतु शेष नही है।''

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी

बैंक खाते की त्रुटि होने के कारण छात्रवृत्ति वितरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं विसंगति होने पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्यो / स्वीकृतकर्ता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

22/12/16
(अंजू पवन भदौरिया)
संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

क्रमांक / समग्र / वन–क्लिक / 45 / 2016 / 565 भोपाल, दिनांक 22/12/16

प्रतिलिपिः–

1. सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.।

22/12/16
संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश